

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री महावीर प्रसाद नायक, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० - तारीख दायर तारीख फैसला
68/2019/प्रार्थना पत्र 23.07.2019 05.09.2019

उनवान

परमेश्वर पिता मोहनलाल जाट नि० डोहरिया तह० फूलियाकलां
- प्रार्थी

बनाम

- 1- सोहन पिता मगना जाट नि० डोहरिया तह० फूलियाकलां
- 2- हेमराज पिता मोहन जाट नि० डोहरिया तह० फूलियाकलां
- 3- शिवनारायण पिता चन्द्रा धोबी नि० डोहरिया तह० फूलियाकलां
- 4- मिटू पिता चन्द्रा धोबी नि० डोहरिया तह० फूलियाकलां
- 5- राजी पत्नि गिरधारी बैरवा नि० डोहरिया तह० फूलियाकलां
- 6- गोपाल महाराज भगवान ना०बा० सरपरस्त पुजारी मोहनदास पिता
कल्याणदास बैरागी नि० डोहरिया तह० फूलियाकलां
- 7- गोपाल महाराज भगवान ना०बा० सरपरस्त पुजारी महावीरदास पिता
बालूदास बैरागी नि० डोहरिया तह० फूलियाकलां

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध
विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम
डोहरियां पटवार हल्का डोहरिया तहसील फूलियाकलां में प्रार्थी के खातेदारी
का जमाबन्दो सन् 2005 में 2009 के खाता संख्या 260 आ०न० 1848 रकबा
0.55 है०, कुल किता 01 रकबा 0.55 है० एवं खाता संख्या 258 आ०न०
1799 रकबा 0.48 है० कुल किता 01 रकबा 0.48 है० भूमि स्थित है। पेरा
नं० 1 में वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं० 1 व 7 पड़ोसी



Handwritten signature or mark.

होने से आये दिन फसल काशत करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.09.2019 को अभिभाषक प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने से अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 2 से 7 के विरुद्ध दिनांक 05.09.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस करनी चाही जिससे उनकी बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम डोहरियां पटवार हल्का डोहरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 260 आ०न० 1848रकबा 0.55 है०, कुल किता 01 रकबा 0.55 है० एवं खाता संख्या 258 आ०न० 1799 रकबा 0.48 है० कुल किता 01 रकबा 0.48 है० का प्रार्थी खातेदार काशतकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण 2 लगायत 7 के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम डोहरियां पटवार हल्का डोहरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 260 आ०न० 1848 रकबा 0.55 है०, कुल किता 01 रकबा 0.55 है० एवं खाता संख्या 258 आ०न० 1799 रकबा 0.48 है० कुल किता 01 रकबा 0.48 है० का प्रार्थी के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 400/- (अक्षरे चार सौ रूपये मात्र)



(Handwritten signature)

की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थिया से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(महावीर प्रसाद नायक)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां जिला-भीलवाडा